

मद 4 (1) (ख) - (xii) एवं (xiii)

सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का तरीका इसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण तथा रियायत प्राप्त करने वालों का विवरण, इसके द्वारा दिए गए प्राधिकरणों के अनुज्ञा-पत्र (परमिट)।

भारत सरकार की वे योजनाएं जिनके लिए कॉर्पोरेशन नोडल एजेंसी है, उन योजनाओं से संबंधित संगत सूचना नीचे दिए लिंक पर दी गई हैं :-

<http://pfcindia.com/Home/VS/23>